न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 04 / 18 वर्ष 2018

जीसीएम संख्या :–2018 / 00021

बउनवानीः– 1. महेश चन्द जैन पुत्र स्व0 श्री रतन लाल जैन निवासी बौंली तहसील बौंली

बनाम

1. भागचन्द जैन पुत्र स्व0 श्री रतन लाल जैन निवासी बौंली तहसील बौंली
2. ग्राम पंचायत बौंली जरिये सरपंच ,ग्रा.प.बौंली तह.बौली जिला सवाईमाधोपुर
3. रेवतीरमण शर्मा उर्फ मन मोहन दत्तक पुत्र परशुराम भारद्वाज जाति ब्राहामण निवासी बौंली

(निगरानी विरूद्व पत्रावली संख्या 169 / 2000 मे पारित निर्णय दिनांक 5.10.2017 की पालना मे जारी पटटा द्वारा ग्राम पंचायत बौंली पंचायत समिति बौंली जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री चन्द्र प्रकाश जांगिड वकील प्रार्थी

2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील अप्रार्थी–1

3. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील अप्रार्थी–3

–: निर्णय :– दिनांक 29.12..2021

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत बौंली के द्वारा मिसल संख्या 169 / 2000 मे पारित निर्णय दिनांक 5.10.2017 की पालना में जारी पटटा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मिसल संख्या 169 / 2000 में दिनांक 5.10.2017 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी संख्या एक भागचन्द जैन को 35 x 33 फीट जमीन का बौली निवाई रोड़ पर उक्त जमीन को दो भागों में बांट कर नजराना राशि पर पटटा जारी करने का बिना आमजन की सुनवायी किये चुपचाप षडयन्त्र रचकर पटटा जारी करने का निर्णय पारित किया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नही है। क्योकि जिस भूखण्ड का पटटा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी भागचन्द को दिनांक 5.10.2017 को जारी करने का निर्णय पारित किया गया है उस भूखण्ड का ग्राम पंचायत बौंली की पटटा मिसल संख्या 101 / 79 मे सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही कर उज्रदारी नोटिस जारी कर मौका निरीक्षण कर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत कोरम की मौजूदगी में सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की सहमति से निवाई रोड़ से 50 फीट जमीन छोडकर 45x45 फुट जमीन का 10–1 / 2 रूपये प्रति वर्गगज नजराने के हिसाब से 225 वर्गगज जमीन का 2362.50 / –रू निश्चित कर दिनांक 2.1.1980 को निर्णय प्रार्थी निगरानी गुजार महेश चन्द जैन पुत्र रतनलाल जैन के पक्ष मे पारित किया गया है ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय दिनांक 2.1.1980 पर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर है। विवादित भूखण्ड निगरानीगुजर के कब्जे एवं स्वामित्व का है जिसपर अप्रार्थी संख्या एक को पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 5.10.2017 को उक्त भूमि ग्राम पंचायत बौंली की नही थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भागचन्द जैन से साज कर एक ही स्थान का दो बार पटटा जारी किया गया है जो गलत है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 2.1. 1980 को जारी किये गये पटटे व निर्णय की प्रति प्रार्थी के पास से कही गुम हो गयी है जो काफी प्रयास के बावजूद भी नही मिली है तथा ग्राम पंचायत से भी उक्त निर्णय व पटटे की प्रमाणित प्रति नही मिली है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूखण्ड के संबंध मे भागचन्द द्वारा पेश किये गये गवाहो के बयान पर कब्जा 50 वर्ष पुराना बताया गया है जो गलत है क्योकि भागचन्द की उम्र इस समय 61 वर्ष की है तथा 50 वर्ष पूर्व वह 11 वर्ष का नाबालिग लडका था जो ग्राम पंचायत की जमीन पर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कब्जा कर पटटा प्राप्त करने की सूझबूझ नही रखता है। निगरानी गुजार का विवादित भूखण्ड पर काफी लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा था पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का नजराना वसूल कर प्रार्थी के नाम पटटा जारी करने का निर्णय दिनांक 2.1.1980 को लिया गया है। यह तर्क भी दिया कि पुराने दस्तावेज यथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर निर्णय दिनांक 10.10.2020 निगरानी संख्या 3/2000 उनवानी परशुराम बनाम ग्राम पंचयत बौंली, निर्णय ग्राम पंचायत बौंली दिनांक 30.3.1991 पत्रावली संख्या 207 दायर दिनांक 27.10.1989 ,न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर वाद संख्या 24/08 उनवानी परशुराम बनाम अशोक कुमार के साथ संलग्न नक्शा में विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होने की विवेचना की गयी है। यह है कि अप्रार्थी भागचन्द जैन प्रार्थी का बडा भाई है इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को उक्त दोनो दुकाने व्यवसायिक कार्य करने के लिए दे दी थी जिसपर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की बिना सहमति के विधुत कनेक्शन ले लिया है जिसपर प्रार्थी द्वारा कोई ऐतराज नही किया किन्तु उक्त विधुत कनेक्शन की आड में अप्रार्थी संख्या एक भागचन्द ग्राम पंचायत से साज कर उक्त भूखण्ड को हडपना चाहता है। यह तर्क भी दिया कि उक्त निर्णय पंचायत सचिव द्वारा लिखा हुआ नही है अपनी सम्पूर्ण फर्जी कार्यवाहियों को छिपाकर कानूनी जामा पहनाने की नियत से किसी विधि विशेषज्ञ द्वारा लिखवाया गया है। आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.4.2018 को प्राप्त होने पर प्राप्त जानकारी से निगरानी अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि मुझ अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.9.2000 को रियायशी मकान का पटटा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं पुनः दिनांक 21.9.2005 एवं 13.2.2006 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटटा मिसल संख्या 169/2000 पर सुनवायी बाबत निवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.1.2006 को आपत्ति नोटिस जारी किया किन्तु अन्दर मयाद कोई आपत्ति ग्राम पंचायत मे पेश नही होने पर ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर दिनांक 2.2.2007 को मौका दिखवाया गया मौका रिपोर्ट के अनुसार उत्तर दक्षिण 35 फिट पूर्व पश्चिम 33 फिट पर आवेदक का कब्जा पुराना पुख्ता निर्माण होना बताया गया है। उक्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी महेश चन्द जैन द्वारा दिनांक 5.2.2007 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त भूखण्ड का पटटा पूर्व मे मेरे नाम बना हुआ है इसी कम में दिनांक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 26.11.2007 को एक प्रार्थना पत्र रेवती रमण दत्तक पुत्र परशुराम भारद्वाज निवासी बौली ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मेरे स्वामित्व की भूमि ख0न0 1263/3 मे भागचन्द जैन को पटटा नही दिया जावे प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 207 दायर दिनांक 27.10.1989 निर्णय दिनांक 30.3.1991 की छायाप्रति पेश की गयी। दोनो प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न किया जाकर प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को नोटिस कमांक 1332 दिनांक 14.8.2007, 1483 दिनांक 29.9.2007,1518 दिनांक 30.10.2007,1579 दिनांक 1.11.2007, 1611 दिनांक 16.11.2007 द्वारा जारी किये गये है लेकिन बावजूद सूचना के प्रार्थी ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित नही होने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः नोटिस कमांक 1672 दिनांक 16.12.2007 जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया किन्तु फिर भी प्रार्थी ग्राम पंचायत मे उपस्थित नही हुआ इसके उपरान्त नोटिस कमांक 1901 दिनांक 14.3.2008 एवं 349 दिनांक 16.12.2015 एवं 137 दिनांक 17.8.2016 एवं 178 दिनांक 16.9.2016 एवं 442 दिनांक 2.3.2017 एवं 13 दिनांक 17.4.2017 एवं 792 दिनांक 14.8.2017 सहित कुल 13 बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी प्रार्थी ग्राम पंचायत में उपस्थित नही हुआ ओर ना ही अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये गये। उक्त पटटा अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत की गयी सभी आपत्तियों को विधिवत निस्तारण करते हुए पारित किया गया है। दिनांक 30.01.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियम,1996 के नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचो से पुनः मौका दिखाया गया जिसमे अप्रार्थी रेवतीरमण द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बौंली के मुकदमा संख्या 250/1993 के निर्णय दिनांक 13.2.2015 एवं वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे का अवलोकन किया जाकर निर्णय की पालना करते हुए नक्शे मुताबिक भूमि की

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नाप की गयी। इसके पश्चात नियम 1996 के नियम 147 के तहत कार्यवाही करने का निर्णय किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गयी तत्पश्चात पचायत नियम 148 के तहत पुनः आपत्ति नोटिस जारी किया जिसकी पालना में उक्त व्यक्तियों के अलावा किसी ने उज्रदारी प्रस्तुत नही की है। यह तर्क भी दिया कि उक्त विवादित भूखण्ड को लेकर वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जिन विभिन्न न्यायालयों के निर्णयो की प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है उक्त निर्णयों मे दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए उभय पक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत पटटा फीस जमा करके ही आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी 1 द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित पटटा मुझ अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व की भूमि ख0न0 1263/3 मे जारी किया गया है तथा उक्त ख0न0 को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के समय से ही विभिन्न न्यायालयों मे वाद प्रस्तुत हुए जिनमें न्यायालयों द्वारा उक्त भूमि को मेरे स्वामित्व की माना गया है कथन के समर्थन में दीवानी वाद संख्या 250/1993 उनवानी पंडित परसराम बनाम राज0 राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 13.2.2015 की प्रति एवं अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण 54/17 रेवतीरमण बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बौंली की आदेशिका पेश की गयी । यह तर्क भी दिया पूर्व महेश को जारी किये गये पटटे मैने सिविल कोर्ट मे खारिज करवाया था फिर उसने अपने भाई अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पटटा बनवाया है यह तर्क भी दिया कि 1991 से पहले मेरे हक मे सारे फैसले हो चुके है। उक्त प्रकरण मे दोनो भाई मिले हुए है। अतः अप्रार्थी संख्या के पक्ष मे जारी पटटा निरस्त करने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने दौरने बहस निवेदन किया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पटटा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत बौंली द्वारा दिनांक 5.10.2017 को आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा दौराने सुनवायी आपत्ति प्रस्तुत कर्ताओं की आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों के आदेशो में दिये गये निर्देशो की पालना करते हुए आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है। जहॉ तक प्रार्थी महेश चन्द द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का पटटा मिसल संख्या 101/1979 पर दिनांक 2.1.1980 मे उसके नाम बना हुआ होने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो उक्त किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज यथा मिसल संख्या 101/1979 एवं पटटे की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है इसलिए प्रार्थी का उक्त कथन निराधार है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त पटटा अपने स्वामित्व की भूमि पर जारी होने बाबत कथन करते हुए विभिन्न न्यायालयों के निर्णयो की प्रति प्रस्तुत की गयी है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सभी निर्णयो की पालना करते हुए ही पटटा जारी किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में मालिकाना हक को लेकर विभिन्न न्यायालयों मे वाद विचाराधीन है तथा इस न्यायालयों को मालिकाना हक निर्धारण किये जाने का अधिकार नही है। इस न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटटे की वैद्यता का ही परीक्षण किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरणा में अप्रार्थी भागचन्द के पक्ष मे पटटा जारी करने से पूर्व सभी कार्यवाही विधिवत सम्पादित की गयी है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण पटटा खारिज किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर